

# न्यायालय वन्दोवस्त अधिकारी चकवन्दी आगरा

प्रा०पत्र सं० २०  
ग्राम-सुरहरा  
संजय गर्ग

/08-09  
तहसील-एत्मादपुर  
बनाम

अन्तर्गत धारा-5ग जो०च०अधि०  
जिला-आगरा।  
सरकार



यह प्रार्थना पत्र श्री संजय गर्ग पुत्र श्री बी०बी०एल० गर्ग निवासी 33/10, संजय प्लेस, आगरा द्वारा ट्रस्टी कावेरी एजूकेशनल ट्रस्ट आगरा ने जो चकवन्दी अधिनियम की धारा-5ग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि ग्राम-सुनहरा के आधार वर्ष खाता के खतौनी संख्या -516 के गाटा सं०-457 रकबा 4.068 हे० का 2/3 भाग का तनहा मालिक है तथा मौके पर भूमि खाली है, खेती नहीं होती है को अकृषक घोषित करते हुए आवादी/शिक्षण संस्थान/अस्पताल इत्यादी का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, नकल खतौनी तथा स०च०अ० एत्मादपुर से प्राप्त स्थलीय व अभिलेखीय विस्तृत आख्या के साथ नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। स०च०अ०/च०कर्ता/च०ले० की आख्या में उल्लेख किया है कि श्री संजय गर्ग पुत्र श्री बी०बी०एल० गर्ग निवासी 33/10, संजय प्लेस आगरा ट्रस्टी कावेरी एजूकेशनल ट्रस्ट आगरा के नाम ग्राम सुनहरा तहसील-एत्मादपुर जिला आगरा के खतौनी संख्या 516 के गाटा सं० 457 रकबा 4.068 हे० में अकृषक हे० जुज रकबा 2.712 हे० संक्रमणीय अनुमति देने से चकवन्दी प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स०च०अ० के अनुसार प्रार्थी करने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

## आदेश

जो चकवन्दी अधिनियम की धारा 5ग के अन्तर्गत श्री संजय गर्ग पुत्र श्री बी०बी०एल० गर्ग निवासी 33/10, संजय प्लेस, आगरा द्वारा ट्रस्टी कावेरी एजूकेशनल ट्रस्ट आगरा को ग्राम सुरहरा, तहसील-एत्मादपुर के आधार वर्ष खाता खतौनी संख्या 516 के गाटा सं०-457 रकबा 4.068 हे० के 2/3 भाग के तनहा मालिक है। संक्रमणीय भूमीधर को आवादी/शिक्षण संस्थान/अस्पताल इत्यादी के निर्माण की अनुमति इस प्रतिबंद के साथ दी जाती है कि यदि 90 दिन की अवधि में नहीं घेरा जाता है तो यह अनुमति निष्प्रभावी मानी जायेगी यदि यह भूमि भारत/राज्य सरकार द्वारा किसी विकास योजना के तहत अधिकृत की जाती है तो प्रार्थी स्वयं का उत्तरदायी होगा।

दिनांक: 23-7-09

बाय का पत्र संख्या: 28  
बाय का नाम  
परिचालक संख्या  
वकील का नाम  
वकील का पता  
वकील का दिनांक  
वकील का दिनांक  
वकील का दिनांक

आदेश नं० 249/09

बन्दोवस्त अधिकारी चकवन्दी  
आगरा।





28-1-09



न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी का बन्दोबस्त आगरा  
 प्रमाणपत्र 106/8-9 धारा-5 ग जे 0 व 0 अधि 0  
 ग्राम- सुरहरा परगाँव रत्नादपुर जिला- आगरा  
 संजय गर्ग बनाय सरकार  
निर्णय

यह प्रार्थना पत्र श्री संजय गर्ग पुत्र श्री बी 0 बी 0 रेल 0 गर्ग निवासी 33/10 संजय प्लेस आगरा द्वारा ट्रस्टी कावेरी स्क्वैशानल ट्रस्ट आगरा ने जो बन्दोबन्दी अधिनियम की धारा-5 ग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि ग्राम सुरहरा के आधार वर्ष खाता के खतौनी सख्या-223 के गाटा स-456 रकबा 0.689 है 0 11/12 भाग व खाता स-311 के गाटा स-455 का रकबा 1.334 है 0 के जुज रकबा 0.922 है 0 का तनहा मालिक है तथा मौ पर भूमि खाली है खेती नहीं होती है को अकृषक घोषित करते हुये आबादी निर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाये।



प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ रापथ पत्र, नकल खतौनी तथा स 0 व 0 आ 0 रत्नादपुर से प्राप्त स्थलीय व अभिलेखीय विस्तृत आख्या के साथ नजरी नकल का अवलोकन किया। स 0 व 0 आ 0 / ग 0 कर्ता / व 0 ले 0 की आख्या में उल्लेख किया है कि संजय गर्ग पुत्र बी 0 बी 0 रेल 0 गर्ग नि 33/10 संजय प्लेस, आगरा ट्रस्टी कावेरी स्क्वैशानल ट्रस्ट आगरा के नाम ग्राम सुरहरा तहसील रत्नादपुर आगरा के खाता खतौनी सख्या-311 के गाटा स-455 रकबा 1.334 है 0 में से जुज रकबा 0.922 है और खाता सख्या-223 के गाटा सख्या-456 रकबा 0.689 है 0 के 11/12 भाग सक्रमणीय भूमि धर 0 है कुल दो कित्त भूमि वर्तमान में अकृषक है निर्माण अनुमति देने से बन्दोबन्दी प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा स 0 व 0 आ 0 के अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमि में आबादी निर्माण करने की अनुमति दिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

14  
 प्रार्थी का नाम संजय गर्ग  
 पते का नाम संजय गर्ग  
 सहाय शब्द संजय गर्ग  
 प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 28-1-09  
 नकल न्यायरी का दिनांक 28-1-09  
 न्यायालय का दिनांक 30-1-09  
 निशान 30-1-09

जो बन्दोबन्दी अधिनियम की धारा 5 ग के अन्तर्गत श्री संजय गर्ग पुत्र बी 0 बी 0 रेल 0 गर्ग निवासी-33/10 संजय प्लेस आगरा ट्रस्टी कावेरी स्क्वैशानल ट्रस्ट आगरा के आधार वर्ष खाता खतौनी सख्या 223 की गाटा सख्या 456 रकबा 0.689 है के 11/12 भाग व खाता स 311 के गाटा सख्या 455 रकबा 1.334 है 0 के जुज रकबा 0.922 है का तनहा मालिक है कुल 2 कित्त सक्रमणीय भूमिधर को आबादी निर्माण की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि यदि 90 दिन की अवधि में नहीं धेरा जाता है तो यह अनुमति निष्प्रभावी मानी जायेगी तथा यदि भूमि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी विकास योजना के तहत अधिभूत की जाती है तो प्रार्थी का स्वयं उत्तरदायित्व होगा।  
 दिनांक 28-1-09

सत्य प्रामाणिक प्रमाणित  
 रीडर  
 न्यायालय नं० ३०५०, आगरा  
 30-1-09

निर्दिष्ट अधिकारी का स्वयं  
 बन्दोबस्त अधिकारी बन्दोबस्त आगरा